**थ ॰ नि॰-७/Т.** स.-७/जि० ए० आर०-7/G. A. R-7

(खजाना नियम 92 देखिए	[/See Rule 92)						ासावल/८			
					कृपया बतायें Please indica			TT/Defence-		
	चालान संo/Challan No.				1 100-0 1110-1-1		रेलवे/Rail			
(मृह्य पृष्ठ/Obverse)					डाक			त्तार/Posts & Telegraphs		
		_	खजाना/उप-खजाना ≈							
************************************						· · · अजना/उप-खजाना भें संदत्त नकद का चालान भारत के स्टेट/रिजर्व बैंक				
Chailan of cash pald into	Treasury/Sub-Trea	sury								
Charles of Cash parg into	State/Reserve Bank o	findia at								
प्रेषक द्वारा भरा जाए To be filled in by the remitter						विभागीय आफिसर या खजाने द्वारा भरा जाए To be filled in by the Departmental Officer				
					or the Treasury					
	और पता जिसकी	प्रेषण की और/या प्राधिकार की (यदि कोई हो)	₹₹	हम	लेखा शीर्षक	लेखा अ ृजिसके द्वा	रा समा-	बैंक को आदेश†		
किसके द्वारा निविदत्त विया गया By whon tendered	ओर से धन संदत्त किया गया Name (or designa-	पूर्ण विशिष्टियां Full particulars	Amo	ount	Head of	योजन हो	सकता है			
by whom tendered	tion) and address of the person on whose behalf money is paid	ance and/or authority (if any)			account	Accounts by wi adjus	hom	Order to the Bankt		
	money is pare		₹०	पै०		ī		तारीख सही है।		
नाम/Name			Rs.	P.	l	•		प्राप्त करो और रसीद		
1						;		अनुदत्त करो। (धन		
					İ	-		संदत्त करने का आदेश देने वाले आफिसर का		
			1					नाम और प्रा		
				İ				पदाभिधान		
					1	1		Date Correct.		
								Receive and grant receipt (Signature and full Designation		
					7			of the Officer ordering the money		
हस्ताक्षर/Signature		जोड़*/Total*		<u> </u>		<u> </u>		to be paid in)		
2					†विभागीय	आफिसर या	खजाना अ	ाफिसर की मार्फत केवल		
*हपए (शब्दों में)					बैंक को किए जाने वाले प्रेषणों की दशा में प्रयुक्त किया जाए। †To be used only in the case of remitances to the Bank					
*(In words) Rupees					through C	through Departmental Officer or the Treasury Officer.				
प्राप्त संदत्त (शब्दों में) रूप	ाए/Received paymen	t (In words) Rupee	s					खजाना आफिसर		
कोषपाल	लेखापाल			तारीय	ब			अभिकत्ती या प्रबन्धक Treasury Officer		
Treasurer	Accountant		Date		P			Agent or Manager		
					s •			[कु॰पृ०उ०/P. T. O.		
*										

टिप्पणी-1. खंजाने में संदाय की दंशा मैं 500 ६० से कम राशियों की रसीदी के लिए खंजाना आफिसर के हस्ताक्षर अपिक्षत नहीं है, किन्तु केवल लेखापाल और कोषपाल के ही अपिक्षत होंगे। सेवा डाक टिकटों के लिए संदर्त नकदी और चैकों की रसीद प्रकृप कर निर्ण में दी जानी चाहिए।

NOTES... In the case of payments at the Treasury, receipts for sum less than Rs. 500 do not require the signature of the Treasury Officer, but only of the Accountant and the Treasurer. Receipts for cash and cheques paid for service postage stamp should be given in Form T. R. 5.

2. निविदत्तं किए गए धन की विशिष्टियां नीचे दी जानी चाहिए । Particulars of money tendered should be given below.

3. जिन मामलों में चैकों से प्रत्यक्ष साख अनुजय है, उनमें "लेखा शीर्षक" बैंक के दैनिक चिट्ठे की प्राप्ति पर यथास्थिति खजाना आफिसर या महालेखापाल द्वारा भरा जाएगा।

In the case where direct credits at the Bank are permissible, the column "Head of Account" will be filled in by the Treasury Officer or the Accountant-General as the case may be, on receipt of the Bank's Daily Sheer.

	विशिष्टियां	रकम Amount		
	Particulars	₹o Rs.	Ø 0 P.	
सिक्के/Coin				
*			4.	
नीट (स्पीरे सहित)/Notes (with details)			~ <sub>.</sub> ,	
8.				
बैंक (ब्योरे सहित)/Chaques (with dotalls)				
		r		
	•			
	,	,	i (	
9 . v				
			A .	
And the state of t		ৰ্টুলৈ ইণ Total Rs.		

1340 4 14 1 1 100 1 BP Bbsr - 23/21 GIFS/94-95-15,00,000 Copies

